भारत सरकार
कार्यालय, आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।

संस्था/ट्रस्ट का नाम ग्रामीण समाज कल्याण परिषद
पता कल्याणपुर, समस्तीपुर
आदेश की तारीख

<u>धारा 12एए के अन्तर्गत आदेश</u>

संस्था के द्वारा दाखिल आवेदन के अनुसार संस्था की स्थापना दिनांक 5/7/94 को ज्ञापन द्वारा की गई है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु दाखिल दिनांक 19/11/01 का आवेदन विहित प्रपत्र में है तथा प्रस्तुत ~~समय-सीमा में है~~ / समय सीमा से 6 वर्ष 6 महीना बाद का है। चूंकि ट्रस्ट/संस्था द्वारा पंजीकरण हेतु दाखिल आवेदन के विलंब का पर्याप्त कारण नहीं था / ~~पर्याप्त कारण था~~, इसलिए इस विलंब से मुक्त नहीं किया गया है / ~~विलंब से मुक्त कर दिया गया है~~।

अतः उसे दिनांक 1/4/02 के प्रभाव से पंजीकृत किया जाता है तथा धारा 12ए के अन्तर्गत इस कार्यालय में [illegible] पंजी/रजिस्टर में वर्ष 2002-03 के क्रम सं0 3 में इसकी प्रविष्टि की जाती है।

(स्नेह गुप्ता)
आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।

संख्या आ0आ0/मु0/तक0, 12एए/01-02/ 672-76
दिनांक – 7.5.02

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, ~~रेंज-2, मुजफ्फरपुर~~ [illegible] दरभंगा
2. सहायक आयकर आयुक्त
3. आयकर अधिकारी, समस्तीपुर
4. आवेदक

7.5.02

(एस0 एन0 दास)
आयकर अधिकारी (तक0)
कृते- आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर।

भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर

सं-सं- आ-आ-/[illegible]/80 जी/2001-2002/ ([illegible])
दिनांक, मुजफ्फरपुर [illegible]

सेवा में,

[illegible]
....
[illegible]
....
[illegible]
....

महोदय,

विषय:- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5) के अन्तर्गत छूट।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन दिनांक [illegible]

[illegible]

[illegible] .... को

दिए गए दान पर इस आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत दानकर्ता को उपलब्ध [illegible] होगा।

यह छूट दिनांक 1/4/01 से 31/3/05 तक मान्य होगा।

भवदीय

आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर

नोट:-

1. दानकर्ता को जारी किये गये रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख उल्लेखित करना आवश्यक है।
2. आय तथा व्यय के लेखा का विवरण [illegible] क्षेत्रीय आयकर अधिकारी के पास प्रस्तुत [illegible] किया जाना चाहिए।
3. यदि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया गया हो तो इसकी सूचना संकलन एवं प्रति/न्यास के संशोधित कागजात के साथ इस कार्यालय को शीघ्र दी जानी चाहिए।

ज्ञापन सं. आ. आ./तक./80 जी/2000-2001/ 678-81

मुजफ्फरपुर, दिनांक 7.5.02

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली ।

2. मुख्य आयकर आयुक्त, पटना ।

3. संयुक्त आयकर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर

4. सहायक ~~आयकर आयुक्त~~/आयकर अधिकारी – [illegible]

को अनुरोध है ट्रस्ट/संस्था द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें कि यह ट्रस्ट/संस्था धारा 80 जी (5) में निहित शर्तों को तथा इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों को पूरा करता है । छूट के नवीकरण हेतु प्राप्त वाद के आवेदन की प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपने प्रतिवेदन के साथ आयकर उपायुक्त के माध्यम से भेजें ।

7.5.02

([illegible])
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते – आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर ।

Government of India, office of the Commissioner of Income-tax